परिशिष्ट "अ" [18/12/2024]
अता. प्रश्न क्र. 1066

प्रश्न सं. [क्र. 1066]

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम 2018 के पूर्व धारा 57

धारा 57. **समस्त भूमियों में राज्य का स्वामित्व.-** (1) समस्त भूमियाँ राज्य सरकार की हैं और एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है कि समस्त ऐसी भूमियाँ जिनके अंतर्गत रूका हुआ तथा बहता हुआ पानी, खानें, खदानें, खनिज तथा वह चाहे वे आरक्षित हों या न हों, तथा किसी भूमि की अधोमृदा में के समस्त अधिकार हैं, राज्य सरकार की सम्पति है :

परन्तु इस कोड में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस धारा की कोई बात किसी व्यक्ति के किसी ऐसी सम्पत्ति में के किन्हीं ऐसे अधिकारों पर जो कि इस कोड के प्रवृत्त होने के समय अस्तित्व में रहें हो, प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

(2) जहां राज्य तथा किसी व्यक्ति के बीच उपधारा (1) के अधीन के किसी अधिकार के संबंध में कोई विवाद उद्भूत हो, वहां ऐसा विवाद राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा।

9-12-24

अवर सचिव/अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग